राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 12/2024
उनवान : तहसीलदार सुमेरपुर बनाम प्रकाश कुमार अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 की धारा 14 (4) के तहत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 12/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/200

अपीलाण्ट्स :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली राज.		प्रकाश कुमार पुत्र जेठाजी जाति मेहत्तर निवासी खिवान्दी तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.

अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 की धारा 14 (4) के तहत मौजा खिवांदी के खसरा नम्बर 820/2 रकबा 0.3300 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि का आवंटन निरस्त कर बहक राजस्थान सरकार दर्ज किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया।

उपस्थिति :–
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विक्रम सिंह सोलंकी।

–:निर्णयः–

दिनांकः 30.12.2025

प्रार्थी तहसीलदार भूमिधारी सुमेरपुर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 की धारा 14 (4) के तहत मौजा खिवांदी के खसरा नम्बर 820/2 रकबा 0.3300 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि का आवंटन निरस्त कर बहक राजस्थान सरकार दर्ज किये जाने बाबत प्रस्तुत किया।** प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा दिनांक 13.02.2013 में प्रकाश कुमार पुत्र जेठाजी जाति मेहत्तर निवासी खिवान्दी को ग्राम खिवांदी के खसरा नम्बर 820/2 रकबा 0.3300 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि आवंटित की गई थी। जिसका नामान्तरकरण संख्या 1419 द्वारा अप्रार्थी को गैर खातेदार दर्ज किया गया। अप्रार्थी/आवंटी का आवंटित भूमि पर आदिनांक तक कब्जा/काश्त नहीं है एवं आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की है। यह भी कि पटवारी हल्का खिवांदी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी के वारिसान का कब्जा/काश्त नहीं होने से आवंटन नियम की धारा 14 (4) का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी पेश कर निवेदन है कि आवंटी द्वारा आवंटन आदेश की शर्तो की पालना नहीं किया जाने से खिवांदी के खसरा नम्बर 820/2 रकबा 0.3300 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर उक्त भूमि बहक राजस्थान सरकार दर्ज करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को ज़रिए सम्मन तलब किया गया तथा प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित सरकारी पैरोकार ने वक़्त बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी को प्रश्नगत आराजी खसरा संख्या 820/2 मौज़ा खिवांदी राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के प्रावधानान्तर्गत आवंटित की गई थी, किन्तु आवंटन से ही अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है अर्थात अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने से उक्त आवंटन काबिल निरस्त है।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का ही कब्जा काश्त है तथा हल्का पटवारी की त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार द्वारा विचाराधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो काबिल खारिज है।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं मूल रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 12/2024

उनवान : तहसीलदार सुमेरपुर बनाम प्रकाश कुमार अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 की धारा 14 (4) के तहत

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा खिवांदी के खसरा संख्या 820/2 रकवा 0.33 हैक्टेयर अप्रार्थी श्री प्रकाश को राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम 1970 के नियम 20 के उपबन्धान्तर्गत आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित करने का दिनांक 13.02.2013 को निर्णय किया गया।

प्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के ज़रिए यह आक्षेपित किया गया है कि आवंटी/अप्रार्थी का आवंटित भूमि खसरा संख्या 820/2 पर कब्जा काश्त नहीं है तथा कब्जाकाश्त के अभाव में अर्थात् आवंटन शर्तों की पालना नहीं होने से उक्त आवंटन निरस्त किया जाए।

प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेजों में हल्का पटवारी द्वारा तैयार मौका फर्द दिनांक 13.02.2019 तथा गिरदावरी रिपोर्ट संवत् 2072 एवं 2076 से उक्त आक्षेप की तस्दीक होती है कि ज़ैर अपील आवंटित भूमि खसरा संख्या 820/2 पर आवंटी/अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रेषित एवं पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट क्रमांक/868 दिनांक 23.06.2021 से तो यह जाहिर होता है कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का ही कब्जा है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आक्षेप के खण्डन में अप्रार्थी मात्र मौखिक अभिवचन के अतिरिक्त अन्य कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि दस्तावेजी साक्ष्यों को मौखिक साक्ष्यों पर तरज़ीह दी जाएगी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवंटन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र बखिलाफ अप्रार्थी में अंकित तथ्य प्रमाणित पाए जाते है।

अतः तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 **के नियम 14 (4) के अन्तर्गत प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्त नियम 1970 के तहत खसरा संख्या 820/2 रकबा 0.33 हैक्टेयर मौज़ा खिवान्दी का अप्रार्थी श्री प्रकाश कुमार के पक्ष में किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सुमेरपुर को निर्देश दिए जाते है कि मौज़ा खिवांदी के खसरा संख्या 820/2 रकबा 0.33 हैक्टेयर को कब्जेराज कर माफ़िक आदेश राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें एवं निर्णय तिथि से पन्द्रह रोज में पालना प्रेषित करें।**

निर्णय आज दिनांक **30.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला पाली